15/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 7/14

तारीख रजू 11/03/14

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

प्रदीप जैन उर्फ संजय पुत्र पांचू लाल जैन (खाद्य कारोबार कर्त्ता एवं मालिक) मैसर्स: संजय आयल मील आदर्श नगर ए पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर निवासी आदर्श नगर ए पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर। –अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय::

दिनांक:– 3.1.19.

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 18/10/2013 को 04:30 पी.एम. पर दौराने गश्त मैसर्स: संजय आयल मील आदर्श नगर ए पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर निवासी (राज.) पर पंहुंचा वहा पर प्रदीप जैन उर्फ संजय पुत्र पांचू लाल जैन (खाद्य कारोबार कर्त्ता एवं मालिक) निवासी आदर्श नगर ए पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर उपस्थित थे को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय से लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में मील का निरीक्षण किया मील में खाद्य पदार्थ सरसों का तेल तैयार कर एक लोहे की बड़ी टंकी में विक्रय हेतु एकत्र किया जा रहा था। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल खुली अवस्था में, (खाद्य सुरक्षा एवं मानक विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन विनियम 2011) का उल्लंघन प्रतित होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा, विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति प्रस्तुत की। खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर खाद्य कारोबार कर्त्ता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां। जिसे खाद्य कारोबार कर्त्ता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में श्री कानाराम मीणा सहायक कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2013/2198 दिनांक 11/11/2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एफएसएसएल/कोटा/2013/355 दिनांक 31/10/13 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल मिसब्राण्ड (पैकेजिंग एवं लेबेलिंग रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन) पाया गया। अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लधंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्न तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुआ। उभय पक्ष को सुना गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(11) का उल्लधंन किया है । अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि परिवादी ने अभियुक्त के विरूद्ध असत्य प्रकार से प्रकरण दर्ज किया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त की मील में स्पेलर से निकल रहे तेल में से सेम्पल लेना चाहा इस पर निकल रहे तेल में से परिवादी ने सेम्पल लिया। अभियुक्त तेल निकालने का कार्य करता है। अभियुक्त से सेम्पल मिलावट का अन्देशा होने के आधार पर लिया गया है। अभियुक्त ने सरसों के तेल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की।उक्त खाद्य पदार्थ मेरी फर्म से वास्ते नमूना लिया गया था जो जांच परिणाम में मिसब्राण्ड पाया गया। अभियुक्त ने दौराने बहस कथन किया कि कार्यवाही नोटिस अभियुक्त समाप्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एफएसएसएल/कोटा/2013/355 दिनांक 31/10/13 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल मिसब्राण्ड (पैकेजिंग एवं लेबेलिंग रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन) पाया गया तथा अभियुक्त ने दौराने बहस ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज/गवाह पेश नहीं किए जिससे उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड प्रतीत नहीं होता हो।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड प्रकृति के खाघ पदार्थ सरसों का तेल का खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) (11) का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त को 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3-1-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर